भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096.
टेली / Tel : 022-28294772
ई-मेल /E-mail : ddcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in

कार्यालय आदेश संख्या 214 / 2024

विषय: सीप्ज़ में विभिन्न प्रकार की खरीद के लिए निविदा मूल्यांकन समिति के संबंध में।

ई-खरीद पोर्टल और स्थानीय खरीद के माध्यम से खरीद से संबंधित सभी पिछले कार्यालय आदेशों के अधिक्रमण में, सीप्ज़-सेज़ में सभी अधिकारियों और संपूर्ण खरीद प्रणाली द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. ड्राफ्ट आरएफपी/निविदा दस्तावेज, उपलब्ध आईटी कार्यकारी/परामर्शदाताओं/तकनीकी अनुभाग (कार्य) की सहायता से खरीद अनुभाग द्वारा तैयार किया जाएगा और सहायक विकास आयुक्त (आईटी एवं ई-खरीद) तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. निविदा दस्तावेज/आरएफपी की समीक्षा निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा परामर्श और गैर-परामर्श सेवाओं/सामान/कार्यों की खरीद मैनुअल और सामान्य वित्तीय नियम-2017 के अनुसार की जाएगी।
3. ई-खरीद के लिए निविदाएं/आरएफपी उप विकास आयुक्त से अनुमोदन के बाद जेम पोर्टल/सीपीपी पोर्टल पर जारी की जाएंगी।
4. जेम/सीपीपी पोर्टल पर जारी निविदा में प्राप्त बोली दस्तावेजों की जांच सहायक विकास आयुक्त-आईटी/ई-खरीद द्वारा आईटी एवं ई-खरीद अनुभाग के सहायक/प्रवर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक की सहायता से की जाएगी। आईटी कार्यपालक जांच में लिपिकीय सहायता प्रदान करेंगे।

5. तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति/कार्य समिति

समिति की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ द्वारा की जाएगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क्रमांक	नाम	
1	वेतन एवं लेखा अधिकारी	- सदस्य
2	सहायक विकास आयुक्त (आईटी एवं ई-खरीद)	- सदस्य सचिव
3	सहायक विकास आयुक्त (संपदा परिचालन/प्रशासन)	- सदस्य
4	सहायक विकास आयुक्त (वित्त)	- सदस्य
5	सहायक विकास आयुक्त (सुरक्षा)	- सदस्य
6	सहायक विकास आयुक्त (आपदा प्रबंधन)	- सदस्य
7	सहायक विकास आयुक्त (श्रम)	- सदस्य
8	प्रवर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक/ आईटी/ई-खरीद के सहायक	सहयोगी कर्मचारी

समिति के कोरम के लिए कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी तथा उप विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष का निर्णय

विकास आयुक्त सह अध्यक्ष, सीप्ज़-सेज प्राधिकरण द्वारा मामले दर मामले के आधार पर किया जाएगा।

6. *वित्तीय निविदा मूल्यांकन समिति/कार्य समिति*

समिति की अध्यक्षता संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ द्वारा की जाएगी और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क्रमांक	नाम	
1	उप विकास आयुक्त	सदस्य सचिव
2	वेतन एवं लेखा अधिकारी	सदस्य
3	सहायक विकास आयुक्त (आईटी एवं ई-खरीद)	सदस्य
4	सहायक विकास आयुक्त (संपदा परिचालन/प्रशासन)	सदस्य
5	सहायक विकास आयुक्त (वित्त)	सदस्य
6	सहायक विकास आयुक्त (सुरक्षा)	सदस्य
7	सहायक विकास आयुक्त (आपदा प्रबंधन)	सदस्य
8	सहायक विकास आयुक्त (श्रम)	सदस्य
9	प्रवर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक/ आईटी/ई-खरीद के सहायक	सहयोगी कर्मचारी

समिति के कोरम के लिए कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। संयुक्त विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त द्वारा की जाएगी तथा अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

सहायक विकास आयुक्त (आईटी एवं ई-खरीद) निविदा के संरक्षक होंगे। वे आईटी एवं ई-खरीद प्रभाग के सहायक/प्रवर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक से अपेक्षित सहायता ले सकते हैं तथा आउटसोर्स स्टाफ से लिपिकीय सहायता ले सकते हैं।

संबंधित अनुभाग के सहायक विकास आयुक्त प्रभारी खरीद सेल के लिए आवश्यक विशेषज्ञता/विनिर्देश/तकनीकी और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत करेंगे तथा खरीद प्रभाग के सहायक विकास आयुक्त प्रभारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात खरीद की उचित विधि से माल/सेवाओं/कार्यों की खरीद करेंगे। सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में, संबंधित अनुभाग के सहायक विकास आयुक्त प्रभारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

उपरोक्त निविदा मूल्यांकन समितियां भी विकास आयुक्त सह अध्यक्ष सीप्ज़ प्राधिकरण को स्वीकृति के लिए मिनटों का मूल्यांकन करने और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगी। किसी विशिष्ट बोली को स्वीकार करने के बाद, उसे सफल बोलीदाता के रूप में घोषित करें। निविदा मूल्यांकन समिति सीप्ज़ के लिए कार्य समिति भी होगी, जिसे तकनीकी दस्तावेज़ीकरण एजेंसी, तृतीय पक्ष सत्यापन संस्थान और सांविधिक अनुपालन सत्यापन एजेंसी के तकनीकी डोमेन विशेषज्ञता संसाधनों द्वारा पूरक बनाया जाएगा, जहां भी उपलब्ध और आवश्यक हो। अनुबंध के प्रदान का रिकॉर्ड पर आंतरिक रूप से प्रक्रिया के उचित अनुपालन के साथ होगा।

विनिर्दिष्ट अधिकारी सीमा शुल्क देयता से संबंधित मामलों में निविदा मूल्यांकन समिति का सदस्य होगा।

7. स्थानीय क्रय समिति

रु. 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए) से कम अनुमानित मूल्य वाले कार्यों की खरीद तीन या अधिक ऑफ़लाइन कोटेशन आमंत्रित करके की जा सकती है। आमंत्रित कोटेशन का मूल्यांकन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा:-

क्रमांक	**नाम**	
1	संयुक्त विकास आयुक्त	सदस्य सचिव
2	उप विकास आयुक्त	सदस्य
3	वेतन एवं लेखा अधिकारी	सदस्य
4	सहायक विकास आयुक्त (वित्त)	सदस्य
5	सहायक विकास आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
6	सहायक विकास आयुक्त (सतर्कता)	सदस्य
7	सहायक विकास आयुक्त (संपदा)	सदस्य
8	सहायक विकास आयुक्त (सुरक्षा)	सदस्य

उक्त समिति जीएफआर 2017 के अनुसार सभी पहलुओं की जांच करेगी और रिकॉर्ड के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के कोरम के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी, जिसमें कम से कम तीन सदस्य मौजूद होने चाहिए।

2. बिना कोटेशन के सामान की खरीद:

जीएफआर-2017 के नियम 154 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर केवल 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये) मूल्य तक के सामान की खरीद, कोटेशन या बोली आमंत्रित किए बिना की जा सकती है।

इसे विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 09.07.24

(सी.पी.एस चौहान)

संयुक्त विकास आयुक्त

सीप्ज़-सेज़

फा सं. .: SEEPZ-SEZ/ADMN/10/2001-02/Vol-IV/ 08522 दिनांक:09.07.2024

प्रति:

1. सभी अधिकारी/कर्मचारी, सीप्ज़-सेज़
2. विकास आयुक्त कार्यालय/संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय/ उप विकास आयुक्त कार्यालय/ विनिर्दिष्ट अधिकारी
3. कार्यालय आदेश फ़ाइल/रजिस्टर
4. सीप्ज़-सेज़ की वेबसाइट

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096.
टेली / Tel : 022-28294772
ई-मेल /E-mail : ddcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in

OFFICE ORDER NO. 214 / 2024

Subject: Tender Evaluation Committee for various type of procurements in SEEPZ-reg..

In supersession of the all previous Office Orders related to Procurement through eProcurement Portals and Local Purchase, following instructions are herby issued for compliance with immediate effect by all the officials and entire procurement System in SEEPZ SEZ.

1. Draft RFP/ Tender document shall be prepared by Procurement Division with the help of available IT Executive/ Consultants/ Technical Section (Works) and ADC (IT & eProcurement) will present before the Technical Tender Evaluation Committee.
2. Tender Document/ RFP shall be reviewed by the Tender Evaluation Committee as per Manual of Procurement of Consultancy and Non-Consultancy Services/ Goods/ Works and General Financial Rules-2017.
3. Tenders/RFP for eProcurement shall be floated on GeM Portal/ CPP Portal after approval from the Deputy Development Commissioner.
4. Scrutiny of the Bid documents received in a Tender floated on GeM/ CPP Portal shall be done by ADC-IT/eProcurement with the help of Assistant/UDC/LDC of IT & eProcurement Section. IT Executive shall provide Clerical assistance in the scrutiny.

5. ***Technical Tender Evaluation Committee/ Works Committee***

The Committee shall be chaired by the Deputy Development Commissioner, SEEPZ-SEZ and shall have the following members:-

Sr. No.	Name	
1	Pay & Account Officer	- Member
2	Assistant Development Commissioner (IT & eProcurement)	- Member Secretary
3	Assistant Development Commissioner (Estate Operations/ Admin)	- Member
4	Assistant Development Commissioner (Finance)	- Member
5	Assistant Development Commissioner (Security)	- Member
6	Assistant Development Commissioner (Disaster Management)	- Member
7	Assistant Development Commissioner (Labour)	- Member
8	LDC/UDC/Assistant of IT/eProcurement	Support Staff

Presence of at least 50% of member will be necessary for quorum of Committee and in absence of Deputy Development Commissioner, chairman for Technical Tender

09.07.24

Evaluation Committee shall be decided by the Development Commissioner cum Chairperson, SEEPZ SEZ Authority for particular Tender on case to case basis.

6. *Financial Tender Evaluation Committee/ Works Committee*

The Committee shall be chaired by the Joint Development Commissioner, SEEPZ-SEZ and shall have the following members:-

Sr. No.	Name	
1	Deputy Development Commissioner	- Member Secretary
2	Pay & Account Officer	- Member
3	Assistant Development Commissioner (IT & eProcurement)	- Member
4	Assistant Development Commissioner (Estate Operations/ Admin)	- Member
5	Assistant Development Commissioner (Finance)	- Member
6	Assistant Development Commissioner (Security)	- Member
7	Assistant Development Commissioner (Disaster Management)	- Member
8	Assistant Development Commissioner (Labour)	- Member
9	LDC/UDC/Assistant of IT/eProcurement	Support Staff

Presence of at least 50% of member will be necessary for quorum of Committee. In absence of Joint Development Commissioner, Technical Tender Evaluation Committee shall be chaired by Deputy Development Commissioner and the presence of Chairperson shall be mandatory.

The Assistant Development Commissioner (IT & eProcurement) will be the custodian of the tender. He/ She may take the required support from the Assistant/ UDC/LDC of IT & eProcurement Division and clerical assistance from Outsource Staff.

The ADC I/C of the concerned division shall submit the required expertise/ specifications/ Technical and other important aspects for the Procurement Cell and ADC I/c of Procurement Division shall procure the Goods/ Services/ Works with appropriate method of procurement after approval of Competent Authority. In absence of Member Secretary, the ADC i/e of the concerned division shall act as Member Secretary.

Above Tender Evaluation Committees shall also be the Competent Authority to evaluate & submit the Minutes to the Development Commissioner cum Chairperson SEEPZ Authority for acceptance. After acceptance any specific bid, declare the same as successful bidder. The Tender Evaluation Committee shall also be the Works Committee for SEEPZ, SEZ supplemented by the technical domain expertise resources of the Technical Documentation Agency, Third Party Validation Institute and Statutory Compliance Validation Agency, wherever available and necessary. Award of contract shall be with due compliance to procedure internally on record.

The Specified Officer will be a member of the Tender Evaluation Committee in cases involving Custom duty liability.

09.07.24

7. *Local Purchase Committee*

The Procurement of Works with an estimate value of less than Rs. 2,50,000/- (Two Lakhs Fifty Thousand Rupees) can be done by inviting three or more offline quotations. The quotations invited shall be evaluated by the following Committee:-

Sr. No.	Name	
1	Joint Development Commissioner	- Member
2	Deputy Development Commissioner	- Member Secretary
3	Pay & Account Officer	- Member
4	Assistant Development Commissioner (Finance)	- Member
5	Assistant Development Commissioner (Admin)	- Member
6	Assistant Development Commissioner (Vigilance)	- Member
7	Assistant Development Commissioner (Estate)	- Member
8	Assistant Development Commissioner (Security)	- Member

The said Committee shall examine all the aspect in terms of GFR 2017 and furnish their report for record. Presence of least 50% of the members including Chairperson will be required for quorum of Committee with at least three members present.

8. Purchase of goods without quotation:

Purchase of goods upto the value of Rs. 25,000 (Rupees twenty five thousand) only on each occasion may be made without inviting quotations or bids as per Rule 154 of GFR-2017.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

09.07.24

(CPS Chauhan)
Jt. Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

F.No.: SEEPZ-SEZ/ADMN/10/2001-02/Vol-IV/08522 Date: 09 .07.2024

Copy to:

1. All Officers/Staff of SEEPZ-SEZ
2. DCO/JDCO/DDCO/SO
3. Office Order File/ register
4. SEEPZ-SEZ Website